रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 88] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 28, 1985/फाल्गुन 9, 1906
No. 88] NEW DELHI, THURSDAY, FEB. 28, 1985/PHALGUNA 9, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1985

सं. 22/85-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा. का. नि. 125(अ) :—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व

विभाग) की अधिसूचना सं. 272/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख, 18 अक्तूबर, 1979, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

(1) उक्त अधिसूचना के प्रथम पैरा में, शर्त (ख) में "विनिर्माण के कारखानों" शब्दों के स्थान पर "विनिर्माण के कारखानों या भाण्डागारों" शब्द रखे जाएंगे ;

(2) परिशिष्ट में, पैरा (क), (ख), (ग), (ज) और (ड) में "कारखाना" शब्द जहां कहीं भी आया है उसके स्थान पर "कारखाना या भाण्डागार" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 71/55/84-सी.एक्स. 2]

बी. के. जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 1985

NO. 22|85-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 125(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 272|79-Central Excises, dated the 18th October, 1979, namely :—

(1) In the said notification, in the first paragraph, in condition (b), for the words "factory of manufacture", the words "factory of manufacture or warehouse" shall be substituted ;

(2) in the Appendix,—

in paragraphs (a), (b), (c), (h) and (m), for the words "the factory" wherever they occur, the words "the factory or warehouse" shall be substituted.

[F. No. 71|55|84|CX. 2]

B. K. JAIN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985